संख्या- 29/2026/I/1282540/2026/11-4099/2/2026

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-सम्भल में राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-UPST-SMPTOPT3(NCWR)/3/11249/2025-SMPT-UPST, दिनांक 10.02.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-सम्भल में राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग से तैयार आगणन प्रस्ताव/डी0पी0आर0 लागत लागत रू0 1453.74 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-सम्भल में राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य** हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रु0 1370.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत पूंजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4216-01-700-09-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि में से प्रश्नगत परियोजना हेतु **प्रथम किश्त** के रूप में **रु0 345.00 लाख (रुपये तीन करोड़ पैंतालिस लाख मात्र)** की वितीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रायोजनान्तर्गत थर्ड पार्टी कवालिटी कन्ट्रोल हेतु सिविल कार्यों की लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02-01-2026 द्वारा विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी आडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

3. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

7. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

"Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 35.49 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार वास्तविक धनराशि में अन्तर होने की स्थिति में प्रायोजना को पुनः प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-9/2022/ए-1-357/दस-2022-10(55)/2000 दिनांक 14.09.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य बॉट आउट कार्य लिफ्ट एवं डी0जी0सेट की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गई है। प्रभाग का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद का होगा।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन,

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

13. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद/कार्यदायी संस्था की होगी।

15. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

17. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

18. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

19. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. वितीय वर्ष के आखिरी सप्ताह में धनराशि निर्गत होना स्वस्थ वितीय प्रबंधन के अनुरूप नहीं है। अतः यह सुनिश्चित हो कि वितीय वर्ष के आखिरी सप्ताह में निर्गत धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,45,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4216017000900 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-ई-9-446/दस-2025-26 दिनांक 27.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन, मुरादाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद/संभल।
8. मुख्य अभियंता, निर्माण खण्ड (भवन), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड (भवन), लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।